

प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर - थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर.....वर्ष ...2022.....
2. प्र.इ.रि.सं.....314 / 2022..... दिनांक .....11.08.2022.....
  - (I) \* अधिनियम - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018). धारा - 7.....
  - (II) \* अधिनियम .....धारा - .....
  - (III) \* अधिनियम.....-..... धाराएं.....-
  - (IV) \* अन्य अधिनियम एवं धाराएं .....-
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....198..... समय.....5.40 P.M......  
(ब) अपराध घटने का दिन व समय- बुधवार दिनांक 10.08.2022 वक्त 07:39 ए.एम  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक - 09.08.2022 वक्त 11:00 ए.एम.....
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक - लिखित
5. घटनास्थल :-
  - (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी - दक्षिण पूर्व, लगभग 5 किलोमीटर
  - (ब) पता - कांता खतूरिया कॉलोनी, बीकानेर  
बीटसंख्या.....-.....जुरायमदेही सं.....
  - (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....-
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :-
  - (अ) नाम - श्री महीपाल
  - (ब) पिता/पति का नाम - भैराराम
  - (स) जन्म तिथि/आयु - 40 वर्ष
  - (द) राष्ट्रीयता - भारतीय
  - (य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि..... जारी होने की जगह .....
  - (र) पेशा - कृषि
  - (ल) पता - गज्जेवाला, तहसील बज्जु, जिला बीकानेर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
8. श्री अमरजीत पुत्र श्री रामदेव परिहार, उम्र 36 वर्ष निवासी गांव कोलासर, तहसील व जिला बीकानेर हाल निवासी मकान नंबर ई-145, कांता खतूरिया कॉलोनी, बीकानेर हाल शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा बज्जु, जिला बीकानेर
9. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :- कोई विलम्ब नहीं।
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....
11. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....-
12. पंचनामा यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....-
13. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :-

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 09.08.2022 को परिवादी श्री महीपाल ने ब्यूरो चौकी बीकानेर पर अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि सेवा में, श्रीमान् एडिशनल एसपी साहब जी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर, विषय : बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच बज्जु के मैनेजर श्री अमरजीत को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत। महोदय, मैं प्रार्थी महीपाल पुत्र श्री भैराराम बिश्नोई निवासी गज्जेवाला, तहसील बज्जु, जिला बीकानेर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी श्री भैराराम बिश्नोई के नाम से चक 2 जीडब्ल्यूएम में 38 बीघा कमांड कृषि भूमि है। इस भूमि पर मेरे पिताजी ने बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच बज्जु में केसीसी ऋण के लिए आवेदन कर रखा है जिसका रहननामा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। चक नंबर 6 जीडब्ल्यूएम में मेरे सगे भाई मांगीलाल की पत्नी भरमती के नाम से 24.5 बीघा कमांड भूमि है इसका भी रहननामा दर्ज हो चुका है। यानि दोनों भूमि के फार्म 6 (1) का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होकर बैंक के नाम से रहन दर्ज हो चुका है परंतु केसीसी ऋण के रूप में प्राप्त होने वाले रुपये अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके लिए मैं मेरे धर्मभाई श्री अशोक कुमार जांगिड़ को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच बज्जु के मैनेजर श्री

*Bhar*

अमरजीत से दिनांक 08.08.2022 को बैंक में मिला तो उन्होंने मुझसे व अशोक कुमार जांगिड़ से हमारे 5 लाख रुपये का एक केसीसी ऋण जारी करने के 30000 रुपये के हिसाब से दोनों 10 लाख रुपये के केसीसी ऋण के कुल 60000 रुपये रिश्वत के मांगे और कहा कि इतना मेरा खर्चा पानी दोगे तो मैं तुम्हारा केसीसी लोन तुरंत जारी कर दूंगा। हमने जब उनसे इतने रुपयों की व्यवस्था नहीं होने की बात कही तो मैनेजर साहब ने हमें पहला लोन जारी करने से पहले 30000 रुपये रिश्वत मांगी है और पहला लोन जारी हो जाने के बाद बची हुई 30000 रुपये रिश्वत देने पर ही दूसरा लोन जारी करने का कहा। इन दोनों केसीसी के लोन जारी करवाने के लिए अब तक बैंक में सारी कार्यवाही मैंने ही की है। मैंने मेरे पिताजी व भाई भाभी को सारी बात बताई तो उन्होंने बैंक मैनेजर को केसीसी लोन के लिए रिश्वत नहीं देने की बात कही है और शिकायत करने के लिए मुझे कहा है। इसलिए मैं, मेरे पिताजी व मेरे भाई भाभी श्री अमरजीत मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, बज्जू को रिश्वत न देकर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहते हैं। कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। धन्यवाद। तारीख 09.08.2022 एसडी महीपाल, महीपाल पुत्र श्री भैराराम बिश्नोई निवासी गज्जेवाला, तहसील बज्जू, जिला बीकानेर, 7340196633, 8306297300

रिपोर्ट के संबंध में वक्त 11:00 एएम पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने मुझ पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने पास बैठे एक व्यक्ति से मेरा आपसी परिचय करवाते हुए व्यक्ति का विवरण ब्यूरो का परिवादी श्री महीपाल पुत्र भैराराम जाति बिश्नोई उम्र 40 वर्ष निवासी गज्जेवाला, तहसील बज्जू, जिला बीकानेर होना बताया तथा उनके साथ आए एक अन्य व्यक्ति का परिचय श्री अशोक कुमार जांगिड़ बताया। परिवादी श्री महीपाल द्वारा श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की गई टाईपशुदा रिपोर्ट श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर निर्देशित किया। इस पर परिवादी श्री महीपाल व अशोक कुमार जांगिड़ को हमराह लेकर मैं पुलिस निरीक्षक अपने कक्ष में उपस्थित हुआ। मजीद दरियाफ्त पर श्री महीपाल ने बताया कि कार्यवाही के लिए आज ब्यूरो में दिया गया प्रार्थना पत्र मैंने ही अपनी विश्वसनीय जगह टाईप करवाया है तथा इस पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं। मैं खेती बाड़ी का काम करता हूं। मेरे पिताजी श्री भैराराम व मेरी भाभी भरमती के केसीसी लोन जारी करवाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच बज्जू के मैनेजर श्री अमरजीत के पास मैं पिछले 8 माह महीने से चक्कर लगा रहा हूं। बैंक में जमीन का रहननामा चढ़े हुए लगभग एक महीना हो गया है परंतु अब तक मेरे पिताजी व भाभीजी वाली जमीन का केसीसी लोन प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे परिवार की जमीन संबंधी सारा कार्य मैं ही संभालता हूं। दिनांक 08.08.2022 को मैं व मेरे धर्मभाई अशोक कुमार जांगिड़ बैंक मैनेजर श्री अमरजीत से उनके बैंक में मिले तो उन्होंने दिनांक 09.08.2022 को 30000 रुपये रिश्वत बीकानेर में अपने घर पर मंगवाए हुए हैं। श्री अमरजीत बैंक मैनेजर ब्रांच में बैठकर रिश्वत नहीं लेता है, हमारे क्षेत्र के लोग अपने काम के लिए उन्हें उनके बीकानेर स्थित घर पर ही रिश्वत देकर आते हैं तथा कभी कभी बैंक मैनेजर बैंक से बाहर आकर भी रिश्वत ले लेता है। परिवादी श्री महीपाल ने बताया कि बैंक मैनेजर श्री अमरजीत मेरे साथ जाने वाले श्री अशोक कुमार जांगिड़ की उपस्थिति में खुले तौर पर रिश्वत की बात करता है, मेरे अकेले जाने पर वह मुझसे रिश्वत की बात ठीक से नहीं करता है। परिवादी ने बताया कि मैं, मेरे पिताजी, मेरे भाई व भाभी इस केसीसी लोन जारी करवाने के काम के लिए किसी प्रकार की रिश्वत बैंक मैनेजर श्री अमरजीत को नहीं देना चाहते हैं। हम परिवार के सदस्य एसीबी से कार्यवाही करवाकर बैंक मैनेजर श्री अमरजीत को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़वाना चाहते हैं। मैं मेरे पिताजी व मेरी भाभी की ओर से एसीबी कार्यवाही हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर दूंगा। हमारी उक्त बैंक मैनेजर से कोई पुरानी शत्रुता नहीं है। हमारा किसी प्रकार का आपसी उधारी का लेनदेन भी नहीं है। रिपोर्ट परिवादी एवं मजीद दरियाफ्त से मामला पीसी एक्ट की परिधि में आने से परिवादी श्री महीपाल को रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के संबंध में प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। परिवादी श्री महीपाल ने बताया कि बैंक मैनेजर श्री अमरजीत ने 30000 रुपये रिश्वत प्राप्त के लिए मुझे व मेरे धर्मभाई अशोक कुमार जांगिड़ को आज अपने बीकानेर निवास स्थान पर बुलाया हुआ है। परिवादी ने बताया मैं व अशोक कुमार जांगिड़ दोनों एक साथ बैंक मैनेजर श्री अमरजीत के निवास स्थान पर जाकर हमारे केसीसी लोन के बारे में बात करेंगे तो वह निश्चित ही खुलकर हमसे रिश्वत की मांग करेगा। इस पर श्री हरीराम कानि. 210 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर मौजूदा परिवादी से आपसी परिचय करवाया। तत्पश्चात् श्री हरीराम कानि. को मालखाना से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश पर श्री हरीराम कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मालखाना से प्राप्त कर प्रस्तुत किया। परिवादी एवं श्री अशोक कुमार जांगिड़ तथा श्री हरीराम कानि. को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु इसे

चालू व बंद करने की प्रक्रिया से समझाया गया। तत्पश्चात् श्री हरीराम कानि. को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी श्री महीपाल व साथ उपस्थित आए व्यक्ति श्री अशोक कुमार जांगिड़ के साथ रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाने हेतु आरोपी श्री अमरजीत, बैंक मैनेजर के निवास स्थान के लिए रवाना किया गया। समय 04:05 पीएम पर श्री हरीराम कानि. मय परिवादी महीपाल व अशोक कुमार जांगिड़ चौकी पर उपस्थित हुए। श्री हरीराम कानि. ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक के सुपुर्द किया। परिवादी श्री महीपाल ने बताया कि मैं व श्री अशोक कुमार जांगिड़ ब्यूरो चौकी से रवाना होकर आरोपी बैंक मैनेजर श्री अमरजीत के निवास स्थान पर गए थे। इस दौरान श्री हरीराम कानि. ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर ऑन करके आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु मुझे दे दिया था। आरोपी बैंक मैनेजर के मकान पर पहुंचने पर मकान बंद मिला था जिस पर श्री अशोक कुमार जांगिड़ ने अपने मोबाइल नंबर 8306297300 से बैंक मैनेजर को मोबाइल नंबर 8875001453 पर कॉल किया तो बैंक मैनेजर ने जूनागढ के पास स्थित एलआईसी कार्यालय के पास बुला लिया था। श्री हरीराम कानि. ने मुझसे डिजिटल टेप रिकॉर्डर लेकर बंद कर दिया था। आरोपी बैंक मैनेजर के बताए अनुसार मैं, अशोक कुमार जी व हरीराम कानि. हम तीनों रवाना होकर जूनागढ एलआईसी कार्यालय के पास पहुंच गए थे। इस दौरान श्री हरीराम कानि. ने पुनः मुझे डिजिटल टेप रिकॉर्डर ऑन करके आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने से पूर्व मुझे दे दिया था। मैंने व श्री अशोक कुमार जी ने एलआईसी के पास पहुंचकर आरोपी बैंक मैनेजर से संपर्क किया था तो आरोपी बैंक मैनेजर ने हम दोनों को अपनी कार में बैठा लिया था और कार को चलाते चलाते हम दोनों से हमारे काम संबंधी व रिश्वत मांग संबंधी बात की थी। इस पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार आरोपी द्वारा भरमती के केसीसी लोन राशि पहले स्वीकृत करने की ऐवज में प्रथमतः 30000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। आरोपी अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा बज्जु, जिला बीकानेर के मैनेजर श्री अमरजीत द्वारा परिवादी महीपाल से दिनांक 10.08.2022 को प्रातः के समय बीकानेर शहर में गंगानगर चौराहे पर रिश्वत प्राप्त करने पर सहमति प्रकट की गई तथा आरोपी अधिकारी द्वारा परिवादी महीपाल को रिश्वत लेनदेन के समय अकेले को ही बुलाया। आरोपी बैंक मैनेजर द्वारा सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी महीपाल को अपने साथ श्री अशोक कुमार जांगिड़ को नहीं लाने के भी निर्देश दिए। आरोपी द्वारा परिवादी से बीकानेर के व्यस्ततम गंगानगर चौराहे पर अपनी कार में रिश्वत लेनदेन होने की संभावना होनी पाई गई। रिश्वत लेनदेन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त कर अपनी कार को लॉक कर लेने, रिश्वती राशि खुर्द बुर्द कर देने अथवा आरोपी अधिकारी के द्वारा कार्यवाही के दौरान अपने वाहन से निकल भागने की भी संभावनाओं पर विचार किया गया। इस संबंध में परिवादी से भी विचार विमर्श किया गया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी बैंक मैनेजर श्री अमरजीत अपने घर पर भी नियमित रूप से रिश्वत प्राप्त करता रहता है। इसलिए बैंक मैनेजर को उसके निवास स्थान पर ही रिश्वत दिया जाना उचित रहेगा। आरोपी अधिकारी ने परिवादी को सुबह मोबाइल नंबर पर बात करने का भी कहा। दिनांक 10.08.2022 को परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेनदेन संबंधी संभावित ट्रैप कार्यवाही के दृष्टिगत स्वतंत्र गवाहों की तलबी की कार्यवाही प्रारंभ की गई। परिवादी श्री महीपाल ने अपनी भाभी भरमती तथा अपने पिता भैराराम के भूमि रहन संबंधी जमाबंदी की कंप्यूटर प्रति मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की जिसे अवलोकन किया जाकर शामिल दस्तावेज किया गया। वक्त 08:55 पीएम पर कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर जिला वृत्त, बीकानेर से दो स्वतंत्र गवाह 1. श्री अजय कुमार जैन पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार जैन उम्र 54 वर्ष निवासी 5-डी-216, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर हाल सहायक अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर जिला वृत्त, बीकानेर (7597808291) 2. श्री पवन सुथार पुत्र बजरंग लाल सुथार, उम्र 26 वर्ष निवासी सुथारों की बड़ी गुवाड़, उस्ताबारी के अंदर, बीकानेर हाल सूचना सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर जिला वृत्त, बीकानेर (7665487735) ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं जिन्हें दिनांक 10.08.2022 को प्रातः 06:00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पर आवश्यक रूप से उपस्थित हेतु पाबंद किया जाकर रवाना किया गया। समय 09:00 पीएम पर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जानी प्रारंभ कर समय 11:25 पीएम पूर्ण कर फर्द पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए गए तथा रिकॉर्ड वार्ता के दो ऑडियो क्लिप को दो पैन ड्राइव में सेव किया जाकर एक पैन ड्राइव को कपड़े की थैली में सील मोहर किया गया व एक पैन ड्राइव को अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुली अवस्था में सुरक्षित रखा गया। मूल मेमोरी कार्ड को अग्रतर कार्यवाही हेतु डिजिटल टेप रिकॉर्डर में ही स्थापित रखा गया। परिवादीगण को रात्रि विश्राम हेतु रुखसत किया गया।

(Balu)

दिनांक 10.08.2022 को समय 06:00 एएम पर पाबंदशुदा परिवादी श्री महीपाल व अशोक कुमार जांगिड़ तथा गवाहान श्री अजय कुमार जैन व पवन सुथार ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए। श्री अशोक कुमार को परिवादी महीपाल के बताए अनुसार रुखसत किया गया तथा बतौर स्वतंत्र गवाह तलबशुदा उक्त दोनों कार्मिकों का परिवादी श्री महीपाल से आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् वक्त 06:15 एएम पर परिवादी श्री महीपाल ने मन् पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा के निर्देश पर रुबरु उक्त गवाहान के कार्यवाही हेतु आरोपी अमरजीत, शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा बज्जू, जिला बीकानेर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रुपये के 60 नोट कुल 30,000/- रुपये भारतीय मुद्रा के निम्न वर्णन के प्रस्तुत किए -

क्र. सं.	नोट का विवरण	नम्बर नोट
1	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	4RG 176373
2	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	5DE 997038
3	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	9BH 469846
4	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	8AD 837463
5	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	9TC 710932
6	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	8CF 813060
7	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	4EV 539498
8	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	7EM 714645
9	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	4EA 092989
10	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	9QH 310921
11	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	1EV 976720
12	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	8KH 552961
13	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	9LU 538774
14	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	9UV 917555
15	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	7GQ 640748
16	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	2HU 592558
17	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	2EA 681987
18	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	2EA 681988
19	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	2EA 681989
20	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	2EA 681990
21	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	2EA 681996
22	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	2EA 681997
23	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	2TD 489381
24	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	6DA 184911
25	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	2QL 326962
26	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	7BP 568333
27	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	8TT 165445
28	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	2RT 584440
29	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	2RK 590645
30	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	6RS 846254
31	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	8BA 791357
32	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	4HQ 846660
33	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	7BB 136219
34	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	4DR 280963
35	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	5EV 505855
36	एक 500 रुपये का नोट नम्बर	0BL 832126

37	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4ND 979855
38	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6WR 014311
39	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4KV 758699
40	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7ME 499191
41	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4UD 073208
42	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7CB 620986
43	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4AA 599896
44	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3ED 975467
45	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0EM 585317
46	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5HG 872865
47	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3GM 477668
48	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3RC 983321
49	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9UL 839231
50	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7EU 890173
51	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0CA 129061
52	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0BT 890672
53	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0GM 938813
54	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0CF 202822
55	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3AS 168667
56	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1QS 573146
57	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3EW 854785
58	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0EL 977501
59	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4KN 090442
60	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5HK 784308

श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानिस्टेबल नंबर 87 से फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर उक्त सभी नोट एक अखबार के कागज पर रखवाकर उक्त हैड कानिस्टेबल से सभी नोटों पर फिनोल्फथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री महिपाल की जामा तलाशी गवाह श्री अजय कुमार जैन से लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल व पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया व उक्त पाउडर युक्त नोट 30,000/- रूपये परिवादी के पहनी हुई शर्ट की ऊपरी सामने की बायीं जेब में हैड कानि. नरेन्द्र कुमार से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपित से मिलने पर रिश्वती लेनदेन के दौरान एवं रिश्वती लेन-देन हो जाने के बाद आरोपित से हाथ नहीं मिलावें, रिश्वती राशि आरोपित द्वारा मांगे जाने पर उसे देवे, लेन-देन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, आरोपित रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि देने के बाद ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने सिर पर दोनों हाथों को फेरकर ईशारा करे तथा यदि ईशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल करके ईशारा करे। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के गिलास में श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानिस्टेबल के हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फथलीन पाउडर की आपसी रसायनिक प्रतिक्रिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फथलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलवाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रसायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानिस्टेबल के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर हिदायत की गई कि इस डिजीटल टेप रिकार्डर में आरोपी अमरजीत से रिश्वत

लेन-देन के वक्त होने वाली वार्ता को रिकार्ड करें। परिवादी को उसका मोबाईल साथ रखने की अनुमति दी गई। मन पुलिस निरीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर परिवादी के मोबाईल में अंकित करवाये गये तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर मुझ पुलिस निरीक्षक ने अपने मोबाईल में अंकित किये। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत कार्यवाही मुर्तिब की जाकर सभी संबंधित के हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् समय 06:41 एएम पर परिवादी श्री महीपाल ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि अभी अभी बैंक मैनेजर श्री अमरजीत के मोबाइल नंबर 8875001453 से मेरे मोबाइल नंबर 9001516217 पर कॉल आई थी परंतु उनकी आवाज नहीं आ रही थी। इससे तुरंत पहले मैंने मेरे मोबाइल से मैनेजर साहब को मिलने का समय पूछने के लिए कॉल लगाई थी परंतु आवाज नहीं आने के कारण वार्ता नहीं हो सकी थी। इस पर रुबरु गवाहान के परिवादी के मोबाइल का स्पीकर ऑन करवाकर आरोपी के उक्त मोबाइल पर कॉल करवाकर वार्ता करवाई गई जिसे परिवादी को निर्देश दिए जाकर साथ-साथ कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया। इस वार्ता अनुसार आरोपी अमरजीत ने परिवादी को घर पर ही आने के लिए सहमति जाहिर की व 8 बजे तक स्वयं को घर पर ही उपलब्ध होने की बात कही। परिवादी ने बताया कि आरोपी रिश्वती राशि घर पर ही प्राप्त कर लेगा। कल मैं सत्यापन के दौरान मेरे धर्मभाई अशोक के साथ बैंक मैनेजर अमरजीत के घर पर गया था परंतु उनके मकान का सही ठिकाना मुझे याद नहीं हो रहा है। वहां कॉलोनी में जाकर घर नहीं मिलने पर मैं उनसे मोबाइल से संपर्क कर लूंगा। वक्त 07:15 एएम पर परिवादी श्री महीपाल से ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर ऑन करवाकर श्री हरीराम कानि. 210 के साथ जरिये सरकारी मोटरसाइकिल खतूरिया कॉलोनी, बीकानेर के लिए रवाना कर इनके पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ श्री बजरंग सिंह, भगवानदास कानि. जरिये निजी कार, श्री राजवीर सिंह हैड कानि. मय अनिल कुमार कानि. जरिये निजी मोटरसाइकिल से तथा श्री प्रेमराम कानि., श्री कन्हैयालाल एवं श्रीमती हजारा पटान, महिला कानि. जरिये सरकारी बोलेरो से रवाना होकर समय 07:30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी महिपाल एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा ब्यूरो स्टाफ के जरिये निजी एवं सरकारी वाहनों से परिवादी के बताए अनुसार मन मंदिर के पास खतूरिया कॉलोनी, बीकानेर पहुंचे। परिवादी को हरीराम कानि. द्वारा आरोपी से संपर्क करने हेतु रवाना करने पर शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों ने वहीं आस पास परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुए। परिवादी मोबाइल पर वार्ता करता हुआ मकान नंबर ई-145 के गेट के सामने पहुंचा इसी दौरान इसी मकान के गेट के सामने एक व्यक्ति एक बालक के साथ स्विफ्ट डिजायर कार मे बैठते हुए परिवादी को भी साथ बिठाते हुए रवाना हुआ। इस कार के नंबर देखने पर आरजे 07 सीबी 7988 दिखाई दिए। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के अविलंब उक्त कार का पीछा किया तो पुलिस थाना जेएनवीसी के सामने चौराहे पर उक्त स्विफ्ट कार रुकने पर परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुए कुछ देर बाद समय 07:39 एएम पर परिवादी से निर्धारित मिस्ड कॉल का ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ के जरिए निजी कार, मोटरसाइकिलों एवं सरकारी बोलरो वाहन से कार नंबर आरजे 07 सीबी 7988 के पास पहुंचे, जिसमें चालक के बगल वाली सीट पर परिवादी श्री महिपाल कार का फाटक खोले हुए बैठा मिला तथा चालक सीट पर एक सामान्य बदन का टी-शर्ट पहने व्यक्ति बैठा था तथा कार की पीछे की सीट पर एक छोटा बच्चा करीब 07 वर्ष स्कूल यूनिफार्म में बैठा मिला। चालक सीट पर बैठे व्यक्ति को कार से उतरवाया गया। परिवादी श्री महिपाल ने कार से उतरकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया जो बंद कर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। चालक सीट से उतारे हुए टी-शर्ट व जींस पहने व्यक्ति की तरफ देखते हुए परिवादी श्री महिपाल ने बताया कि साहब ये अमरजीत जी बैंक मैनेजर शाखा बज्जू हैं, इन्होंने मेरे से 30000/-रुपये रिश्वत के लेकर गिनकर अपनी कार में गियर लीवर के पास में इन्होंने ही रखे हैं। उक्त राशि उक्त कार के गियर लीवर के पास रखी दिखाई दे रही है। इस पर चालक सीट पर बैठा व्यक्ति ईधर-उधर झांकने लगा। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त कार की चाबी निकालकर अपने पास ली गई तथा उक्त चालक सीट पर बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो अपना नाम अमरजीत परिहार पुत्र श्री रामदेव परिहार, उम्र 36 वर्ष, निवासी गांव कोलासर, तहसील व जिला बीकानेर वर्तमान निवासी मकान नंबर ई 145, कांता खतूरिया कॉलोनी, बीकानेर हाल शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बज्जू, तहसील बज्जू, जिला बीकानेर होना बताया तथा अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना बताया। मौके पर आम सड़क एवं साधनों की आवाजाही होने तथा कार्यवाही के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होने से आरोपी की उक्त कार की चाबी श्री बजरंग सिंह हैड कानिस्टेबल को दी जाकर आरोपी मैनेजर को उसके बच्चे सहित मय गवाह श्री अजय जैन सहायक अभियंता, श्री कन्हैयालाल कानिस्टेबल के तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही सभी शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के मय वाहनों से इस वक्त पुलिस थाना


जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर पहुंचे एवं अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई। आरोपी के बच्चे प्रतीक को सुरक्षित सुपुर्द करने के संबंध में पूछने पर आरोपी अमरजीत ने बताया कि मेरी पत्नी कांता घर पर ही हैं, आप मेरे बच्चे को घर पर छोड़वा दें, जिस पर आरोपी के पुत्र प्रतीक को श्री भगवानदास कानिस्टेबल के साथ पुलिस थाना जेएनवीसी के सहयोग से आरोपी के निवास पर आरोपी की पत्नी श्रीमती कांता को सुरक्षित सुपुर्द करवाया गया। आरोपी अमरजीत परिहार से परिवादी श्री महिपाल से रिश्वती राशि प्राप्त करने का पूछने पर बताया कि सर इससे (परिवादी) ही पूछो। आरोपी से परिवादी श्री महिपाल से जानकारी होने एवं कल एवं आज सुबह परिवादी से वार्ता करने एवं मिलने तथा परिवादी के काम के संबंध में पूछने पर बताया कि यह महिपाल मेरे से कल दोपहर को जूनागढ़ के पास मिला था, आज सुबह सुबह ये मेरे घर आया था, तो मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए निकल रहा था, तो इसने मुझे कहा साहब मैं आ गया हूँ, मुझे भी जाना है, जिस पर मैं इसको अपनी गाड़ी में बैठा लिया, इसको मैं टैक्सी स्टैण्ड पर छोड़ देता। मैंने इससे कोई रिश्वत नहीं ली है और ना ही मैंने इससे कभी रिश्वत की मांग की है। अभी कार में बैठे-बैठे इस महिपाल ने मुझे कहा कि सर ये 30 हजार रुपये हैं, आप ले लो, गिन लो, जिनको मैंने गिनकर इनको देने के लिए गाड़ी में रख दिये थे, इन्होंने वापिस नहीं लिये, इसी दौरान ये गाड़ी से उतरने लगा तो आप आ गये, मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिये। भैराराम व भरमति के नाम से केसीसी आवेदन हमारी बैंक में लंबित हैं, भैराराम इसके पिता तथा भरमति इसकी भाभी है अथवा नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। श्रीमती भरमती की केसीसी लिमिट 9,60,000/-रुपये स्वीकृत हो चुकी है, जो भरमति के बैंक खाता में अभी तक जमा नहीं हुई है, क्योंकि भरमति से लीगल दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाये जाने शेष हैं तथा बताया कि बज्जू शाखा स्तर पर केवल 5 लाख तक की ही केसीसी लिमिट स्वीकृत होती है, इससे ऊपर की केसीसी लिमिट Bank of Baroda CAMPS (Center for Agriculture processesing Cell) जयपुर से होती है। भैराराम के डॉक्यूमेंट बैंक में जमा हैं, जो पुराने हैं, नये दस्तावेज संलग्न नहीं करने से कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है। उक्त दोनों केसीसी के आवेदन स्वीकृत करने के संबंध में कल दिनांक 09.08.2022 ये महिपाल बीकानेर में ही मेरे से मिला था तथा बातचीत की थी, परन्तु मैंने इससे रिश्वत की मांग नहीं की थी। इस पर मौके पर मौजूदा परिवादी श्री महिपाल ने स्वतः ही बताया कि साहब कल मैं श्री अमरजीत जी मैंनेजर साहब से मिला था, तो इन्होंने कहा कि आपकी दो केसीसी हैं, जिनके 60 हजार रुपये खर्चा पानी लगेगा, आप एक भरमति की केसीसी के पहले 30 हजार रुपये दे दो, कल मैं भरमति का पैमेंट डाल दूंगा। इन्होंने दोनों केसीसी के कुल 60 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी, मैंने कल इनको कहा था, कि साहब आज मुझे रुपये मिले नहीं हैं, कल सुबह सुबह मंडी से मुझे 30000/-रुपये मिल जायेंगे, मैं आपको 30 हजार रुपये कल ही दे पाऊंगा। इन्होंने मुझे कहा कि आप कल साढ़े सात बजे गंगानगर चौराहे पर मिल लेना, मुझे कॉल कर लेना, आज सुबह मेरी इनके मोबाईल नम्बर 8875001453 पर मेरे मोबाईल नम्बर 9001516217 से वार्ता हुई थी, मैंनेजर साहब ने कहा कि मैं आठ बजे तक घर पर ही हूँ, तब मैंने कहा साहब मैं घर ही आ रहा हूँ। यहां कॉलोनी में आकर मैंने इनसे घर के बारे में और बात की थी, फिर मैं इनके मकान के गेट के पास पहुंचा, तो मैंनेजर साहब अपनी कार से कहीं निकल रहे थे व मुझे भी कार में बिठा लिया, इनके साथ इनका बच्चा कार में था, मैंनेजर साहब ने इस चौराहे पर आकर मुझे कहा कि पैसे दे दो आप यहां से टैक्सी पकड़ लो, मैंने इनको 30 हजार रुपये दिये और कहा साहब गिन लो, तो मैंनेजर साहब ने कहा गिने हुए ही हैं, कितने हैं, तब मैंने कहा भई सेठ कल 30 हजार रुपये दिये, फिर इन्होंने नोट गिनकर मुझे कहा ठीक है, इसी दौरान मैंने आपको मिसकॉल कर दिया, इन्होंने रुपये गिनकर अपनी कार में गियर के पास रख लिये, मैं कार का फाटक खोलकर उतरने लगा इसी दौरान आप आ गये। इस पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया इसमें रिश्वत लेन-देन की पुष्टि हुई। इस पर श्रीमती हजारा पटान महिला कानिस्टेबल को पूर्व से आरोपी के आवास की सर्च हेतु तैयार टीम के साथ शरीक होने हेतु निर्देशित कर आरोपी के आवास हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर गवाह श्री पवन सुथार से साफ धुलवाये जाकर साफ पानी भरवाया गया एवं दोनों गिलासों में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जो सभी हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी अमरजीत परिहार के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ, धोवन से प्राप्त मिश्रण को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित कर सभी संबंधित ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दूसरे रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी अमरजीत परिहार के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे भी दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क आर-1, आर-2 अंकित किये जाकर सभी संबंधित ने अपने-अपने

हस्ताक्षर किये। चूंकि रिश्वती राशि आरोपी की कार में गियर लीवर के पास रखी हुई है को रूबरू आरोपी व हमराही सभी के उक्त राशि गवाह श्री पवन सुथार से उठवाकर गिनवाई गई तो 500-500 के 60 नोट कुल राशि 30,000/-रूपये होना बताये, इस पर पूर्व से बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट से उक्त दोनों गवाहान से नोटों के नंबरों का मिलान करवाने पर नोटों के नंबर हूबहू फर्द पेशकसी के होना पाये गये जिनके नंबर फर्द में अंकित कर सफेद कपड़े के साथ सील चिट कर कब्जा एसीबी लिए गए। इसके पश्चात रिश्वती राशि बरामद स्थान कार के गियर लीवर के पास नोट रखने वाले स्थान का प्रक्रियानुसार धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। इस घोल को दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर मार्क सी-1, सी-2 अंकित कर सीलचिट कर सभी सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कपड़े की चिंदी को सुखाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त चिंदी को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर संबंधित ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। परिवादी से सम्बंधित कार्य श्री भैराराम एवं श्रीमती भरमती के केसीसी आवेदन के संबंध में पूछने पर आरोपी अमरजीत परिहार ने बताया कि उक्त दोनों भैराराम व श्रीमती भरमती के केसीसी से संबंधित दस्तावेज मेरी चैंबर में मेरी टेबल की दराज में ही है। ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूतों को सील मोहर करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की गई। तत्पश्चात् दिनांक 10.08.2022 को परिवादी द्वारा आरोपी से जरिये मोबाइल की गई वार्ता तथा वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाइल कॉल रिकॉर्ड वार्ता एवं वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता मुर्तिब कर फर्द पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। आरोपी को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी की स्विफ्ट डिजायर कार की तलाशी की गई। घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। श्री गुरमेल सिंह पुलिस निरीक्षक को आवेदक भैराराम व भरमती से संबंधित केसीसी कागजात की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु पत्र देकर रवाना किया गया। इसी दौरान परिवादी ने अपनी भाभी भरमती द्वारा आरोपी मैनेजर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाने के संबंध में अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन कर शामिल कार्यवाही कागजात किया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील को अनुपयोगी कर नष्ट कर फर्द नष्टीकरण मुर्तिब की गई। श्री राजवीर सिंह हैड कानि. व अनिल कानि. को आरोपी बैंक मैनेजर श्री अमरजीत का सेवा विवरण प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय प्रमुख बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम तहरीर जारी कर रवाना किया गया। आरोपी बैंक मैनेजर का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु श्री भगवानदास कानि, कन्हैयालाल कानि. एवं हरीराम कानि. को मय आरोपी के जरिये सरकारी वाहन पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर के लिए रवाना किया गया। श्री राजवीर हैड कानि. व श्री अनिल कानि. आरोपी बैंक मैनेजर का सेवा विवरण लेकर उपस्थित हुए। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं शेष ब्यूरो स्टाफ के समस्त वजह सबूत मय ट्रेप सामग्री हमराह लेकर जरिये निजी कार एवं मोटरसाइकिल से पुलिस थाना जेएनवीसी से रवाना होकर ब्यूरो चौकी बीकानेर पहुंचा। ट्रेप कार्यवाही में सीलशुदा वजह सबूत श्री बजरंग सिंह हैड कानि. के जरिये सुरक्षित मालखाना जमा करवाए गए। परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहों को कार्यवाही से रुखसत किया गया। इसी दौरान श्री कन्हैयालाल कानि, भगवानदास कानि. व हरीराम कानि. मय आरोपी बैंक मैनेजर श्री अमरजीत के बाद स्वास्थ्य परीक्षण मय रिपोर्ट जरिये सरकारी वाहन कार्यालय में उपस्थित हुए। श्री गुरमेल सिंह पुलिस निरीक्षक द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा बज्जु, जिला बीकानेर से श्रीमती भरमती व श्री भैराराम के केसीसी संबंधी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां लाकर मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी बैंक मैनेजर श्री अमरजीत को लिंक न्यायालय माननीय एडीजे, डूंगरगढ के निवास स्थान बीकानेर पर न्यायिक अभिरक्षा हेतु पेश किया जाकर आदेशानुसार आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जाकर रसीद प्राप्त की गई।

इस प्रकार उपरोक्त घटनाक्रम से पाया गया कि परिवादी श्री महीपाल पुत्र भैराराम जाति बिश्नोई, उम्र 40 वर्ष निवासी गज्जेवाला, तहसील बज्जु, जिला बीकानेर के पिता श्री भैराराम पुत्र श्री भारमलराम एवं परिवादी की सगे भाई की पत्नी श्रीमती भरमती के नाम से केसीसी हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बज्जु जिला बीकानेर में किए गए आवेदन पर केसीसी ऋण स्वीकृत करने की ऐवज में आरोपी श्री अमरजीत परिहार शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा बज्जु, जिला बीकानेर द्वारा परिवादी से वक्त सत्यापन दिनांक 09.08.2022 को 60000 रुपये रिश्वत की मांग की तथा श्रीमती भरमती के केसीसी ऋण के ऐवज में 30000 रुपये एडवांस रिश्वत राशि की मांग करते हुए रिश्वत मांग के अनुसरण में वक्त ट्रेप दिनांक 10.08.2022 को परिवादी महीपाल से 30000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। कार्यवाही के दौरान आरोपी के दोनों हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ तथा रिश्वती राशि आरोपी की कार के गियर लीवर के पास से बरामद हुई। आरोपी द्वारा अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न 30000 रुपये परिवादी से बतौर रिश्वत राशि प्राप्त करने




का उक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपी अमरजीत परिहार पुत्र रामदेव परिहार निवासी कोलासर, तहसील व जिला बीकानेर हाल निवासी मकान नंबर ई-145, कांता खतूरिया कॉलोनी, बीकानेर हाल शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा बज्जु, जिला बीकानेर के विरुद्ध उपर्युक्त धारा में बिना नंबरी एफआईआर वास्ते पंजीयन एवं कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

  
(आनन्द मिश्रा)  
पुलिस निरीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  
बीकानेर

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री अमरजीत परिहार पुत्र श्री रामदेव परिहार, शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा बज्जू, जिला बीकानेर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 314/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

  
11.8.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांक: 2748-52 दिनांक: 11.8.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अंचल प्रमुख (महाप्रबंधक), अंचल कार्यालय, बैंक ऑफ बड़ौदा, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

  
11.8.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।